

जवानों के बलिदान का श्रेय लेने की कोशिश में भाजपा, आत्मचिंतन करे-कांग्रेस

नई दिल्ली-भाजपा पर जवानों की शहादत का राजनीतिकरण करने के आरोप को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को विपक्ष पर निशाना साधा तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि सत्ताधारी दल को आत्मचिंतन करने की जरूरत है क्योंकि वह जवानों के बलिदान का श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि श्रीमान जेटली, भाजपा और उसके नेतृत्व को असली आत्मचिंतन की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष सशस्त्र बलों और सरकार के समर्थन में एकमुख होकर खड़ा हुआ है। जबकि अमित शाह और पूरी भाजपा हमारे जवानों के बलिदान का श्रेय लेने और कांग्रेस पर आरोप मढ़ने में लगी हुई है। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता



जेटली ने ट्वीट कर कहा कि भारत के विपक्ष से मेरी अपील-देश को एक स्वर में बोलने दीजिए। कृपया आत्मचिंतन करिये- पाकिस्तान अपना पक्ष मजबूत करने के लिए आपकी गलतबयानी का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल, कांग्रेस समेत देश के 21

विपक्षी दलों ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित आतंकी शिविर पर भारतीय वायुसेना की कार्रवाई और इसके बाद पाकिस्तानी दुस्साहस को विफल किए जाने की सराहना करते हुए बुधवार को कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वे अपने सशस्त्र बलों एवं सेना के साथ खड़े हैं। उन्होंने यह भी

आरोप लगाया कि पुलवामा हमले के बाद भाजपा के नेताओं ने जवानों की शहादत का राजनीतिकरण किया जो गंभीर चिंता का विषय है।

गौरतलब है कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के मुंछ और नीशोरा सेक्टर में भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया लेकिन भारतीय विमानों ने उन्हें खदेड़ दिया। पाकिस्तानी दुस्साहस का जवाब देने के दौरान उसके एक विमान को मार गिराया गया, हालांकि वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की हिरासत में ले लिए गए। इससे पहले मंगलवार तड़के भारतीय विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविरों पर बमबारी की थी। यह कार्रवाई पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में की गई थी। पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के कम से कम 40 जवान शहीद हो गए थे।

मनमोहन सिंह को पहला 'नरसिम्हा राव' पुरस्कार



नई दिल्ली-पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बुधवार को यहां पहला 'पी.वी. नरसिम्हा राव राष्ट्रीय नेतृत्व एवं अजीवन उपलब्धि पुरस्कार' प्रदान किया गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने एक समारोह में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार की स्थापना गैर सरकारी संगठन 'इंडिया नेक्स्ट' द्वारा की गयी है।

पुरस्कार प्रदान करते हुये श्री मुकुर्जी ने कहा कि श्री सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव के साथ मिलकर वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों की जो शुरुआत की थी उसी का परिणाम है कि देश लगातार तेजी से विकास कर रहा है। देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हो गया था लेकिन आर्थिक उदारवाद 1991 में आया।

पूर्व राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के रूप में ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए श्री सिंह की तारीफ की। उन्होंने कहा-ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देकर दूसरी क्रांति को जन्म दिया। आपका दृढ़ विश्वास था कि गाँवों के विकास के बिना समावेशी विकास संभव नहीं।

श्री मुखर्जा ने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में मनमोहन सरकार ने शिक्षा को जो प्राथमिकता दी थी उसकी वजह से उन पाँच वर्षों में देश में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 650 के पार और महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 35 हजार के पार पहुँच गयी थी। उसी का परिणाम है कि आज देश में 900 विश्वविद्यालय और 40 हजार से ज्यादा महाविद्यालय हैं।

उन्होंने श्री राव को गतिशील भारतीय अर्थव्यवस्था का दृष्ट बतया और कहा कि इतिहास उनके साथ ज्यादा बेहतर न्याय करेगा। डॉ. सिंह ने कहा कि छह महीने के अंदर श्री मुकुर्जी के हाथों तीसरा पुरस्कार पाकर वह सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री श्री राव को महान व्यक्तित्व बताया और कहा कि वह अपनी भावनाएँ दिखाते नहीं थे, लेकिन उन्हें श्री राव से काफी स्नेह और समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि श्री राव की सरकार ने जो खाका तैयार किया था आज 28 साल बाद भी देश की आर्थिक नीति की रूपरेखा लगभग वैसी ही है। उन्होंने भी उम्मीद जतायी कि इतिहास श्री राव के साथ ज्यादा सदैव रहेगा।

पुरस्कार की संस्तुति में श्री सिंह को स्वपोषित विकास का पौरुश बताया गया है। लोकसत्ता पाटा के संस्थापक जय प्रकाश नारायण ने कहा कि पी.वी. नरसिम्हा राव का व्यक्तित्व असामान्य था। वह अपने गृह राज्य से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर पर और देश से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित थे।

लता मंगेशकर ने सेना की मदद के लिए एक करोड़ देने की घोषणा की



मुम्बई-स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों के सम्मान के लिए भारतीय सेना को एक करोड़ रुपये दान करेगी। यह बात लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ ने एक बयान में कही। हृदयनाथ ने घोषणा की कि दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट भी पांच लाख रुपये दान देगा। हृदयनाथ ने कहा, हम उन्हें सलाम करते हैं जो हमारे कल्याण के लिए सीमाओं पर खड़े होते हैं। यह हमारा विनम्र योगदान है। चेक मास्टर्ड दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा जिसका आयोजन 24 अप्रैल को मुम्बई में शनमुखानंद हॉल में किया जाएगा। गत 14 फरवरी को एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से भरा अपना वाहन सीआरपीएफ की बस से टकरा दिया था जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे और पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

बीमा कंपनियों को दिव्यांगों के प्रति रवैया बदलना होगा -दिल्ली उच्च न्यायालय



नई दिल्ली-दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि सार्वजनिक बीमा कंपनियों को जन्मजात विसंगतियों से पीड़ित होने के कारण जन्म से दिव्यांग लोगों के बीमा नहीं करने के अपने रविये में बदलाव करना होगा। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश वीके राव ने जनरल इन्श्योरेंस कार्पोरेशन (जीआईसी) से कहा कि, आपको अपना रवैया बदलना होगा। आप सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। इससे पहले जीआईसी के वकील ने अदालत को बताया कि जन्मजात विसंगतियों वाले व्यक्तियों का बीमा करना एक कंपनी और व्यक्ति के बीच एक सख्तिदात्मक मामला है। अदालत ने यह टिप्पणी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए की जिसमें केंद्र, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और बीमा कंपनियों को जन्मजात विसंगतियों, जैसे गर्भ में बाहरी या आंतरिक असामान्यता को स्वास्थ्य या जीवन बीमा पॉलिसियों में सामान्य रोक की सूची से हटाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

वायुसेना की कर्खाई को विपक्ष ने सरह, सरकार पर लगाया राजनीतिकरण का आरोप

नई दिल्ली- कांग्रेस समेत देश के 21 विपक्षी दलों ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी शिविर पर वायुसेना की कार्रवाई की तारीफ करते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता प्रकट की, हालांकि उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलवामा हमले के बाद सत्ताधारी दल के नेताओं ने जवानों के शहादत का राजनीतिकरण किया जो गंभीर चिंता का विषय है। भारत और पाकिस्तान सीमा पर तनावपूर्ण हालात के बीच कांग्रेस और कई अन्य विपक्षों की दलों की बैठक हुई। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की निंदा की गई। संयुक्त बयान में विपक्षी नेताओं ने

कहा कि प्रधानमंत्री ने स्थापित परंपरा के मुताबिक सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। विपक्षी दलों ने कहा कि वे आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में अपने सशस्त्र बलों एवं सेना के प्रति एकजुटता का संकल्प दोहराते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद सत्ताधारी दल के नेताओं ने जवानों की शहादत का राजनीतिकरण किया जो गंभीर चिंता का विषय है। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में हो रही इस बैठक में संप्रग प्रमुख सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, एके एंटनी एवं गुलाम नबी आजाद, तेलुगू देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबु नायडू, तृणमूल

कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, भाकपा महासचिव सुधाकर रेड्डी, लोकतांत्रिक जनता दल के शरद यादव, बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा और रजद के मनोज झा शामिल हुए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, द्रमुक के टी शिवा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिवु सोरेन, रालोसपा के उर्पेंद कुशवाहा, झारखंड विकास मोर्चा के अशोक कुमार, 'हम' के जीवनराम मांझी, तेलंगाना जन समिति (टीजेएस) के कोडानंदरम, जद(एस) केकुंवर दानिश अली, केरल कांग्रेस (एम) के के. जोस मणि, और कुछ अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भी बैठक में शिरकत की।

22 से कश्मीरियों के खिलाफ हिंसा की कोई घटना नहीं-केन्द्र

नई दिल्ली-उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केन्द्र के इस कथन का संज्ञान लिया कि 22 फरवरी से कश्मीरियों के साथ हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है। न्यायालय ने इस तथ्य के मद्देनजर कहा कि फिलहाल जनहित याचिका पर कोई और आदेश की आवश्यकता नहीं है।

शीर्ष अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान 22 फरवरी को 11 राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों तथा दिल्ली के पुलिस आयुक्त को कश्मीरी लोगों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित

करने के लिये सभी उचित कदम उठाने के आदेश दिये थे।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि कश्मीर घाटी से बाहर रहने वाले कश्मीरियों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के 22 फरवरी के आदेश के बाद इनके खिलाफ हिंसा की किसी नई घटना की सूचना नहीं है। पीठ ने अटार्नी जनरल के कथन का संज्ञान लेते हुये कहा कि फिलहाल इस मामले में किसी और आदेश की आवश्यकता नहीं है।